न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 146 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00179

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये तहसीलदार रानी		1. ओगडराम पुत्र भेराराम 2. लक्ष्मी पुत्री भेराराम जातिगण सरगड़ा निवासीगण सिवास तहसील रानी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक - 12/06/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिवास तहसील रानी के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.91 हैक्टेयर किस्म बा0अ0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 91 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 वाला थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम सिवास पटवार मण्डल सिवास के नामान्तरकरण संख्या 91 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम सिवास तहसील रानी के हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 0.94 हैक्टेयर किस्म बा0अ0 की भूमि अप्रार्थीगण की खतोदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 1 गै0मु0 वाला है। उक्त भूमि तहसीलदार देसूरी द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 91 के जरिये अप्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 1 की किस्म गै0मु0 वाला थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी / नाला / वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी वाला की भूमि का आवंटन / नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. वाला दर्ज की जानी हैं। अतः तहसीलदार देसूरी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार देसूरी के आदेश क्रमांक/672 दिनांक 01.07.1965 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम सिवास तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 91 को निरस्त करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली